संख्या– 1765 /VI(1)/2010–2(9)/2008

प्रेषक,

अक्षत गुप्ता,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 11 अक्टूबर, 2010

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 के वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजनान्तर्गत अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–242/2–7–156/2010–11, दिनांक 31 अगस्त, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु जिला योजना की ऋण उपादान/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ₹ 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा इसके कम में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

4– वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा।

कमशः–2

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरीत मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2011 तक कर दिया जाय। अवशेष धनराशि समयनान्तर्गत शासन को समर्पित कर दिया जाय।

7– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–00–07–ऋण उपादान/स्वरोजगार योजना (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

8– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–510/XXVII(2)/2010, दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अक्षत गुप्ता)
अपर सचिव।

संख्या– 1765/VI(1)/2010–2(9)2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– ~~समस्त~~ मुख्य/~~वरिष्ठ~~ कोषाधिकारी, ~~सम्बन्धित~~ जनपद।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8– बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
9– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– वित्त अनुभाग–2.
11– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

11006